

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 772

उत्तर देने की तारीख 24/07/2025

जनजातियों के लिए ग्रामीण स्तर की विकास योजना

772. श्री सुनील कुमार:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि थारू जनजाति की एक बड़ी आबादी बिहार के वाल्मीकि नगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में रहती है और यह समुदाय हस्तशिल्प जैसे दउनी और मउनी जैसे शॉल, चादर, मूज (घास आधारित उत्पाद) बनाने में दक्ष है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी आजीविका के लिए तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का थारू बहुल थारूहाट क्षेत्रों जैसे बगहा-2 ब्लॉक में हरनाटांड, रामनगर ब्लॉक में बखरी बाजार और गौनाहा ब्लॉक में बेलसंडी में हथकरघा उद्योग इकाइयां स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) सरकार सामान्य रूप से जनजातीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। वस्त्र मंत्रालय जनजातीय कारीगरों सहित हस्तशिल्प कारीगरों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी] और हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना [सीएचसीडीएस] को क्रियान्वित करता है। यह विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान करता है जो जनजातीय समुदाय सहित पूरे देश के कारीगरों को लाभान्वित कर रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से संबंधित हस्तशिल्प कारीगरों (अजजा) को कुल 646 पहचान परिचय पत्र जारी किए गए हैं। वे गांधी शिल्प बाजार, दिल्ली हाट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि जैसे विपणन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने हस्तशिल्प उत्पादों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बेच सकते हैं।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के अंतर्गत, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने बिहार के थारू समुदाय के 56

कारीगरों/उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है, जिनके साथ 405 परिवार जुड़े हुए हैं और अपने उत्पादों के विपणन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि एकीकृत थरुहट विकास एजेंसी के माध्यम से पश्चिमी चंपारण के थरुहट क्षेत्र की जनजातियों (थारू सहित) के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:

- प्रखंड बगहा-2 के हरनाटांड पंचायत में स्वरोजगार के लिए बुनकर कार्यशाला सह आवासीय भवन का निर्माण कराया गया है, जो पूरी तरह कार्यात्मक है।
- बगहा-2 के मिश्रौली में हथकरघा भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा, बिहार सरकार जीविका के माध्यम से आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कार्यक्रम भी चला रही है। थरुहट क्षेत्र के अंतर्गत सिधौवा प्रखंड (बगहा-2), रामनगर, गौनाहा एवं मैनाटांड के 43 पंचायतों में अब तक 77871 परिवारों को क्षमता निर्माण एवं जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु 6378 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ा गया है।
